न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
09 / 2022	2022 / 19	19.01.2022	06.06.2022

उनवान प्रकरण

1. गोकुल पुत्र सुरजाराम आयु 65 वर्ष, जाति मीणा निवासी ग्राम जोरावर नगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.

—वादी

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—प्रतिवादी

उपस्थितः—

श्री गिरधारी माण्डिया, एड0 वादी अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी की ओर से ।

वादपत्र बाबत घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड अंतर्गत धारा 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा [illegible]बर [illegible] 66, 67 कुल किता 3 कुल रकबा 6.1200 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम कचनपुर पटवार [illegible] की कचनपुर तहसील [illegible]ोपुर जिला सीकर में स्थित है। जिसके 1 / 12 की खातेदारी व[illegible] के नाम दर्ज है परन्तु उक्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.07.01 14:08:05 IST
Reason: SelfAttested

06/06/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

के राजस्व रिकार्ड खातेदारी में वादी का नाम हरिगोपाल पुत्र सुरजा दर्ज है जबकि वादी का वास्तविक नाम गोकुल पुत्र सुरजाराम है। वादी का वास्तविक नाम गोकुल पुत्र सुरजाराम ही है एंव वादी के आधार कार्ड, मतदाता पहिचान पत्र, जन आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड आदि में भी वादी का नाम गोकुल पुत्र सुरजाराम ही अंकित है परन्तु उक्त वर्णित भूमि की खातेदारी में वादी का नाम हरिगोपाल पुत्र सुरजा दर्ज कर दिया गया। जो वादी को घर पर बोलते नाम हरिगोपाल व हरिगोकुल से पुकारने के कारण खातेदारी में पूर्व में हरि गोकुल अंकित कर दिया गया एंव बाद में हरिगोपाल अंकित हो गया, जिससे वादी को सख्त हक तलफी है एंव वादी को राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं एंव अन्य सुविधाओं में परेशानी होती है। इसलिए वादी का नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड खातेदारी में हरिगोपाल पुत्र सुरजा के स्थान पर गोकुल पुत्र सुरजाराम घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। पटवारी हल्का व भूमिधारी तहसीलदार से उक्त नाम सही दुरूस्त करने का निवेदन किया तो अदालत में दावा प्रस्तुत करने एंव आदेश लाने हेतु कहे जाने पर वादी के द्वारा दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। इसलिए दावा पेश करने बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 1358/भू.अ./2022 दिनांक 18.05.2022 के द्वारा प्राप्त हो चुकी है। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने से वकील वादी ने वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया गया है।

हमनें वादी अभिभाषक की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.07.01 14:48:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

06/06/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

वादी के आधार कार्ड, मतदाता पहिचान पत्र, जन आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, सरपंच ग्राम पंचायत जोरावर नगर आदि मे भी वादी का नाम गोकुल पुत्र सुरजाराम ही अंकित होना प्रकट होता है एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 60, 66, 67 कुल किता 3 कुल रकबा 6.1200 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम कंचनपुर, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित होकर जिसके 1/12 हिस्से की खातेदारी वादी के नाम दर्ज होना तथा उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड खातेदारी में वादी का नाम हरिगोपाल पुत्र सुरजा दर्ज होना जबकि वादी का वास्तविक नाम गोकुल पुत्र सुरजाराम होना प्रकट होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त जॉच रिपोर्ट के अनुसार भी वादी के आधार कार्ड, मतदाता पहिचान पत्र, जन आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, सरपंच ग्राम पंचायत जोरावर नगर आदि में भी वादी का नाम गोकुल पुत्र सुरजाराम अंकित होना तथा सरपंच ग्राम पंचायत जोरावर नगर द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी हरिगोपाल और गोकुल दोनों को एक ही व्यक्ति होना बताया है। पटवारी हल्का जोरावर नगर ने भी जॉच रिपोर्ट में हरिगोपाल और गोकुल दोनों को एक ही व्यक्ति होना बताया है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने राजस्व रिकार्ड में हरिगोपाल पुत्र सुरजा जाति मीणा की जगह गोकुल पुत्र सुरजाराम जाति मीणा शुद्ध किये जाने की अभिशंषा अपनी रिपोर्ट में अंकित की है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत घोषणा स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 60, 66, 67 कुल किता 3 कुल रकबा 6.1200 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम कंचनपुर, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम हरिगोपाल पुत्र सुरजा हिस्सा 1/12 के स्थान पर गोकुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.07.01 14:08:05 IST
Reason: SelfAttested

06/06/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

पुत्र सुरजाराम हिस्सा 1/12 घोषित किया जाता है तथा उक्तानुसार दुरूस्ती किये जाने हेतु भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

06/06/22
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 06.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/06/22
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.07.01 14:08:05 IST
Reason: SelfAttested